न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट मोंठ, झांसी।

जमानत प्र0 पत्र सं0–358/2022

जे0ओ0कोड–यू0पी0 3508

उपस्थितः– अविरल उमराव (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

श्रीमती पिंकी बनाम उ.प्र.राज्य।

अ0 संख्या –311/2017
धारा– 60 आब0अधि0
थाना – समथर,
जिला – झांसी।

दिनांकः 12.10.2022

जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्ता **श्रीमती पिंकी** की ओर से **अ0 संख्या 311/2017**, अन्तर्गत **धारा 60 आब0अधि0** थाना **समथर,** जिला झांसी में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्ता के पास से किसी प्रकार का कोई अवैध शराब बरामद नहीं हुयी। अभियुक्ता को झूठा व रंजिशन फसाया गया है। अभियुक्ता सक्षम जमानत मुचलका प्रस्तुत करने को तैयार है। जमानत मुचलके पर रिहा करने की याचना की है।

अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्ता को उपरोक्त अपराध में तलब होना बताया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्ता के कब्जे से नाजायज देशी शराब बरामद होने का अभियोग है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्ता महिला है। अभियुक्ता न्यायालय में सक्षम जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है तथा प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहने को तैयार है।

समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्ता की जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्ता **श्रीमती पिंकी** की ओर से **अ0 संख्या 311/2017**, अन्तर्गत **धारा 60 आब0अधि0** थाना **समथर,** जिला झांसी में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा उपरोक्त मामले में मुबलिग 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो सक्षम जमानतें दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अविरल उमराव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोंठ, झांसी